छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

विपणन संघ

880ए सिविल-लाईन्स, मुख्यालय-रायपुर (छ०ग०)
दूरभाष नंबर : 0771.2445611 फैक्स नंबर : 2426396

खरीफ विपणन वर्ष 2013-14 में विपणन संघ के धान संग्रहण केन्द्रों हेतु धान भूसा निविदा दस्तावेज

निविदा फार्म का मूल्य
1500/- रूपये (वाणिज्य कर सहित)

कार्यालय छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

880, सिविल–लाईन्स, मुख्यालय–रायपुर (छ0ग0)

खरीफ विपणन वर्ष 2013–14 में डनेज हेतु धान भूसा (सुखा हुआ)

फार्म नंबर.....

1.	निविदाकर्ता का नाम व पता	श्री/सुश्री.....
2.	निविदाकर्ता के पिता/पति का नाम	.....
3.	निविदाकर्ता के प्रतिष्ठान का नाम एवं पता तथा मो. नं.	....
4.	जिला का नाम	.....
5.	निविदा फार्म का मूल्य	रूपये 1500.00/– (वाणिज्यक कर सहित) (अक्षरी एक हजार पांच सौ रूपये मात्र)
6.	निविदा फार्म क्रय का विवरण	मनी रसीद नं..... दिनांक.....राशि..... जिला विपणन कार्यालय का नाम.....
7.	निविदा फार्म विक्रय करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक . .2013 कार्यालयीन समय तक
8.	निविदा जमा करने का अंतिम दिनांक एवं समय	दिनांक . .2013 को दोपहर 2.00 बजे तक।
9.	निविदा को खोले जाने का दिनांक समय एवं स्थान	दिनांक . .2013 को उपरान्ह 3.00 बजे तक।
	समय एवं स्थान	स्थान – छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या, जिला कार्यालय .....(छ0ग0)

टिप्पणी

1. यह निविदा खोलने के लिए निर्धारित दिनांक को बाद में अवकाश घोषित किया जाता है, तो निविदा अवकाश के बाद अगले कार्य दिवस को खोली जावेगी, लेकिन निविदा खोलने के उपरोक्त दर्शाये समय एवं स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. यह निविदा फार्म अहस्तांतरणीय है एवं दो प्रतियों में जारी किया जा रहा है। प्रथम प्रति निविदाकार टेंडर बाक्स में डालेगा एवं द्वितीय प्रति निविदाकार द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु रखा जावेगा।
3. प्रमाणित किया जाता है कि इस निविदा पप्रत्र में पृष्ठ कमांक 1 से 20 तक है।
4. निविदा प्रपत्र विपणन संघ की वेबसाईट www.cgmarkfed.in पर निविदाकर्ता के अध्ययन हेतु गाईड लाईन के रूप में उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र वेबसाईट के माध्यम से डाउनलोड कर नहीं भरे जावेगें, सिर्फ जिला विपणन कार्यालय से क्रय निविदा दस्तावेज में ही निविदा भर कर ही प्रस्तुत की जावें।

निविदा फार्म जारी करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम एवं पदमुद्रा

जारीकर्ता कार्यालय.....
जारी दिनांक .....

उद्‌बोधन

प्रिय निविदाकार,

छ.ग. राज्य में शासन के निर्देशानुसार समर्थन मूल्य में कृषको से धान खरीदी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में धान उपार्जन हेतु जिले में डनेज हेतु धान भूसा (सुखा हुआ) खरीफ विपणन वर्ष 2013–14 के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

1. इस निविदा दस्तावेज में निम्नानुसार परिशिष्ठ संलग्न हैः–
   - (I) परिशिष्ट '1' निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनायें तथा निविदा की शर्ते।
   - (II) परिशिष्ट '2' निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण (भाग–क) तकनीकी लिफाफा हेतु।
   - (III) परिशिष्ट '3' डनेज हेतु धान भूसा (सुखा हुआ) हेतु निविदा दरे (भाग–ख) वित्तीय लिफाफा हेतु।
   - (IV) परिशिष्ट '4' निविदा अनुबंध का प्रारूप।
   - (V) परिशिष्ट '5' जिलेवार कार्यशील धान संग्रहण केन्द्रों की सूची।
   - (VI) परिशिष्ट '6' सत्यनिष्ठा संधि का प्रारूप।

   निविदाकार से अनुरोध है, कि इन दस्तावेजो को भली–भांति पढने और समझने के बाद ही अपनी प्रतिस्पर्धात्मक दरें धान भूसा हेतु निविदा फार्म में निर्धारित परिशिष्ट 3 मे साफ–साफ अको एवं शब्दों में अंकित कर वित्तीय लिफाफा में प्रस्तुत करें।
2. निविदाकार सें यह भी अनुरोध है कि निविदा फार्म के नियत स्थान पर सील सहित हस्ताक्षर करें। निविदा सूचना के प्रकाशन अनुसार भरे हुए निविदा फार्म संबंधित जिले के जिला विपणन कार्यालय में निर्धारित तारीख को निर्धारित समय तक स्वीकार किये जायेगे। प्राप्त निविदाये उसी दिन निर्धारित समय पर उपस्थित निविदाकार के समक्ष खोली जायेगी। निविदायें खोलने के समय निविदाकार स्वयं या उसका प्रतिनिधि उपस्थित हो सकेगा। किसी भी दशा में डाक द्वारा प्रेषित निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
3. इस उद्‌बोधन सहित, निविदा आमंत्रण, निविदा निर्देश व मार्ग दर्शक सूचनाये, संविदा को शासित करने वाले नियम व शर्ते, निविदा दस्तावेज एवं उनमें संलग्न सभी पृष्ठ एवं परिशिष्ट आदि इस निविदा के अभिन्न अंग है और निविदाकार इनसे आबद्व रहने के लिए बाध्य होगा।
4. निविदा में दरें अधिक प्राप्त होने पर निविदा के मात्र वैध प्रथम न्यूनतम निविदाकारों से निविदा दरों पर निगोशियेशन किया जा सकेगा। यदि उपरोक्त कार्यवाही के बाद भी निविदा में युक्तिसंगत दरें प्राप्त नही हुई, तो विपणन संघ अपनी ओर से वैध निविदाकारों को क्रास ऑफर देकर दरें स्वीकृत कर सकता हैं।
5. निविदाकर्ता निविदा के साथ ही वांछित दस्तावेज (परिशिष्ट–1 के अनुसार) अनिवार्य रूप से संलग्न करें। उक्त दस्तावेज संलग्न नही होने पर निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी।
6. निविदाकार को इस निविदा के साथ संलग्न :– निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण को पूर्ण रूपेण एवं फोटो संलग्न करते हुए भरा जाना अनिवार्य है। कृपया इसका विशेष ध्यान रखे। प्रत्येक विवरण अपेक्षित विवरण के साथ पूर्ण भरा जाना है।

उक्तानुसार आपसे अनुरोध है कि संबंधित परिशिष्ट एवं दस्तावेजों का भली भांति अध्ययन कर विपणन संघ के वृहद् जनउपयोगी और व्यवसायिक कार्यो में सहभागिता के दृष्टिकोण से अपनी प्रतिस्पर्धात्मक दरें (कार्य योग्य दरे) प्रस्तुत करे।

भ्ाुभकामनाओं सहित,

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित
रायपुर

परिशिष्ट–1

निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनायें

निविदाकार, जिनके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के संबंधित जिला कार्यालय खरीफ विपणन वर्ष 2013–14 में डनेज हेतु धान भूसा (सुखा हुआ) हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही निम्नानुसार नियमों एवं शर्तों का भली–भांति अध्ययन कर लेवें। यह दिशा निर्देश तथा शर्तें निविदा स्वीकृति की स्थिति में निष्पादित की जाने वाली संविदा के भाग/अंग माने जावेंगेः–

1. विपणन संघ के कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये निर्धारित प्रारूप में ही दो सीलबंद लिफाफों में जिसमें एक तकनीकी लिफाफा (निविदा दस्तावेज के भाग ''क'') एवं दूसरा वित्तीय लिफाफा (निविदा दस्तावेज के भाग ''ख'') अलग–अलग होगा तथा तकनीकी लिफाफा एवं वित्तीय लिफाफा को एक बड़े लिफाफा में बंद कर निविदा प्रस्तुत करना होगा :–

1.1 जिस जिलेमें डनेज हेतु धान भूसा निविदा भरी जा रही है, उसी जिले से निविदा प्रपत्र क्रय कर उसी जिले में ही जमा कराया जाना आवश्यक होगा। एक जिले से क्रय निविदा प्रपत्र पर दूसरे जिले हेतु निविदा नहीं भरी जा सकेगी।

1.2 निविदाकर्ता निविदा के साथ अनिवार्य रूप से निम्नानुसार दस्तावेज तकनीकी लिफाफा में संलग्न करें :–

1. निर्धारित अमानत राशि का छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, छ0ग0 को देय डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर प्रस्तुत करें।
2. आयकर स्थायी लेखा संख्या प्रपत्र एवं विगत दो वर्षों की आयकर विवरण की नोटरी द्वारा प्रमाणित सत्यप्रतिलिपि।
3. वाणिज्य कर/विक्रय कर के वैध पंजीयन क्रमांक एवं वैधता तिथि की नोटरी द्वारा प्रमाणित सत्यप्रतिलिपि।
4. निविदाकार द्वारा हस्ताक्षरित इकरारनामा।

1.3 निविदाकार स्वयं यह सत्यापित एवं सुनिश्चित करेगा कि उसने निविदा प्रपत्र के साथ निविदाकार का इकरारनामा एवं अन्य समस्त दस्तावेज प्राप्त कर लिया है। आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर लेने का पूर्ण उत्तरदायित्व निविदाकार का है।

1.4 निविदाकार द्वारा प्रस्तुत तकनीकी लिफाफा सही पाये जाने पर ही वित्तीय लिफाफा खोला जायेगा।

1.5 निविदा के प्रस्तुत अभिलेख पर निविदाकर्ता को हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।

2. निविदा फार्म भरने के दिशा निर्देश :–

2.1 निविदाकार निविदा फार्म निरंतर एवं विधिवत पूर्ण रूप से भरकर प्रस्तुत करेगा तथा उसके प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा। निविदा फार्म का एक सेट मूल्य **1500**/– रूपये (वाणिज्य कर सहित) होगा। जो संबंधित कार्यालय में नगद/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।

2.2 **दरे** :–निविदा फार्म में रेल्वे द्वारा निर्धारित समयावधि में डनेज हेतु धान भूसा (सुखा हुआ) हेतु दरें अंको में तथा शब्दों में सुवाच्य, स्पष्ट एवं साफ–साफ लिखा जाना चाहिए। निविदा फार्म में ओव्हर रायटिंग अथवा काट–छांट न करें। निर्धारित प्रारूप की कंडिका निविदा कार्य से संबंधित न हो उस पर क्रास का चिन्ह लगाया जावें।

2.3 निविदा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने का अंतिम दिनांक एवं समय निविदा फार्म में अंकित है। निविदा खोलते समय निविदाकर्ता अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकता है।

2.4 जिस जिले से निविदा फार्म क्रय किया जावेगा उसी जिले में निविदा फार्म भरकर प्रस्तुत करना होगा।

2.5 किसी एक जिले से क्रय निविदा फार्म दूसरे जिले में मान्य नहीं होगा। अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस जिले से निविदा फार्म क्रय करे उसी जिले में भरकर प्रस्तुत करें।

—: निविदा की शर्तें :—

(खरीफ विपणन वर्ष 2013—14)

1. विपणन संघ के कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये निर्धारित प्रारूप में ही दो सीलबंद लिफाफों में जिसमें एक तकनीकी लिफाफा (भाग ''क'') एवं दूसरा वित्तीय लिफाफा (भाग ''ख'') अलग—अलग होगा तथा तकनीकी लिफाफा एवं वित्तीय लिफाफा को एक बड़े लिफाफा में बंद कर निविदा प्रस्तुत करना होगा।
2. तकनीकी लिफाफा में वांछा किये गये निविदा दस्तावेज सही पाये जाने पर ही वित्तीय लिफाफा खोला जावेगा।
3. भूसा आपूर्ति की अवधि निविदा स्वीकृति के दिनांक से 31/10/2014 तक होगी। आवश्यकता पड़ने पर आपसी सहमति से अवधि बढ़ाई जा सकती है।
4. निविदाकर्ता को स्वीकृत दर के हिसाब से भूसा आपूर्ति के 15 दिवस के भीतर 90 प्रतिशत भुगतान किया जायेगा।
5. निविदाकर्ता को जिला विपणन अधिकारी द्वारा संग्रहण केन्द्र में भूसा आपूर्ति हेतु आदेशित मात्रा 24 घंटे के भीतर संबंधित संग्रहण केन्द्र में आपूर्ति करना अनिवार्य होगा। समय पर मांग अनुरूप आपूर्ति नहीं करने की स्थिति में होने वाली क्षति की वसूली निविदाकार से की जावेगी, उक्त आपूर्ति अन्य से कराया जाकर जो हानि की राशि होगी वह निविदाकर्ता से वसूल की जावेगी तथा जमा अमानत राशि राजसात की जावेगी।
6. निविदाकर्ता द्वारा भूसा आपूर्ति में लगने वाले समस्त टैक्स स्वयं वहन करना पड़ेगा।
7. धान भूसा सूखा होना अनिवार्य है। धान भूसा गीला एवं पुराना होने पर ट्रक/मेटाडोर वापस किया जा सकता है, जिस हेतु कोई व्यय विपणन संघ द्वारा देय नहीं होगा।
8. धान भूसा की दर प्रति टन (लोडिंग अनलोडिंग सहित) गंतव्य तक पहुंचाकर भरा जावे।
9. धान भूसा के ट्रक/मेटाडोर को धर्मकांटा में तौल अनुसार प्राप्त वजन के आधार पर ही भुगतान किया जावेगा।
10. नियमानुसार निविदाकार के बिल से आयकर की कटौती की जावेगी।
11. निविदाकार को निविदा के साथ प्रत्येक संग्रहण केन्द्र हेतु 50000/— रूपये अमानत राशि किसी अनुसूचित बैंक का ड्राफ्ट जो छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ कार्यालय..... को देय है, निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, यदि एक ही निविदा फार्म में जिले के एक से अधिक संग्रहण केन्द्र के लिए निविदा भरी जाती है तो प्रत्येक संग्रहण केन्द्र हेतु पृथक—पृथक अमानत राशि जमा करना अनिवार्य होगा एवं अमानत राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
12. निविदा एवं अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी भी समय बिना कारण बताये निविदा अग्रेतर समय के लिए निरस्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित रायपुर के पास सुरक्षित होगा, जिस पर कोई वाद किसी भी न्यायालय में दायर नहीं किया जा सकेगा।
13. संग्रहण केन्द्रों की सूची एवं संग्रहण केन्द्रवार आवश्यकता संबंधित जिला कार्यालय से प्राप्त की जा सकेगी।

14. विपणन संघ के संग्रहण केन्द्रों में आवश्यकता होने पर ही आपूर्ति आदेश जारी किये जावेगें। किन्हीं परिस्थितिवश किसी संग्रहण केन्द्र में भंडारण नहीं होने की स्थिति में भूसा आपूर्ति आदेश देना अनिवार्य नहीं है। इसके लिए किसी प्रकार की बाध्यता/हर्जाना मुआवजा देय नहीं होगा।

15. प्रस्तुत दरें युक्तियुक्त एवं व्यवहारिक हों, अव्यवहारिक दरों वाली निविदा स्वीकार नहीं किया जावेगा।

16. न्यूनतम दर वाले निविदाकार (एल–1) से गठित कमेटी के समक्ष निगोशियेशन किया जा सकेगा।

17. निविदाकार यदि किसी शर्त का उल्लंघन करता है अथवा धान भूसा समय पर प्रदाय नहीं करता है तो उसकी जमा अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी तथा होने वाली क्षति की वसूली जमा सुरक्षानिधि से की जावेगी एवं संबंधित प्रदायक को दो वर्षों हेतु काली सूची में दर्ज कराया जा सकेगा।

18. धान भूसा विपणन संघ के संग्रहण केन्द्र के साथ–साथ भारतीय खाद्य निगम के संग्रहण केन्द्रों पर स्वीकृत निविदा दर पर प्रदायक को देना अनिवार्य होगा।

19. स्वीकृत निविदा वाले निविदाकार को धान भूसा आपूर्ति के पूर्व निर्धारित प्रारूप में संबंधित जिले के जिला विपणन अधिकारी से अनुबंध निष्पादित करना होगा। अनुबंध निष्पादन के समय अमानत राशि के अलावा 50,000/– रूपये सुरक्षानिधि के रूप में निविदाकार को जमा कराया जाना अनिवार्य होगा । इस प्रकार जमा अमानत राशि एवं सुरक्षानिधि निविदाकार को अनुबंध अवधि समाप्त होने के पश्चात वापस की जा सकेगी एवं जमा राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा।

20. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रबंध संचालक, विपणन संघ का निर्णय अंतिम एवं उभयपक्षो पर बंधनकारी होगा।

21. सफल निविदाकर्ता के लिए यह आवश्यक होगा कि वह छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित की नाममात्र की सदस्यता ग्रहण करे। नाममात्र की सदस्यता ग्रहण करने के लिए विपणनसंघ द्वारा विहित अंशराशि तथा प्रवेश शुल्क का भुगतान निविदाकार द्वारा किया जाना आवश्यक होगा। यह राशि रूपये 1010/– होगी।

22. वित्त एवं योजना विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक/243/वि/नि/चार/2013 नया रायपुर, दिनांक 06.07.2013 द्वारा आदेशानुसार छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., मुख्यालय, रायपुर एवं निविदाकार के मध्य ''सत्यनिष्ठा संधि'' (Integrity Pact) जो कि इस निविदा दस्तावेज का अभिन्न अंग है, को निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। ''सत्यनिष्ठा संधि'' (Integrity Pact) संलग्न नहीं की स्थिति में निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी। ''सत्यनिष्ठा संधि'' (Integrity Pact) का प्रारूप इस निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न है (परिशिष्ट 6)। उक्त दस्तावेज निविदाकार अपने लेटरहैड में प्रत्येक पृष्ठ पर सील सहित हस्ताक्षर कर निविदा के साथ संलग्न करें। निविदाकार यदि कंपनी/फर्म है, तो उक्त दस्तावेज अधिकृत प्रतिनिधि/संचालक/भागीदार द्वारा हस्ताक्षर एवं सील सहित संलग्न करें। यह सत्यनिष्ठा संधि (Integrity Pact) छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., मुख्यालय, रायपुर द्वारा हस्ताक्षरित माना जायेगा।

परिशिष्ट '2'

छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित,
जिला कार्यालय.....

भाग – ''क''
(तकनीकी लिफाफा हेतु)

फार्म नंबर..... दिनांक.....

खरीफ विपणन वर्ष 2013–14 में डनेज हेतु धान भूसा (सुखा हुआ)

निविदाकर्ता का वर्तमान का फोटो स्वप्रमाणित

1.	निविदाकार का नाम व पूरा पता (पत्र व्यवहार हेतु)		
2.	फर्म का नाम एवं पता		
3.	निविदाकार/फर्म का दूरभाष क./मोबाईल नं.		
4.	वाणिज्य कर/विकय कर के वैध पंजीयन कमांक एवं वैधता तिथि (संलग्न करें)	1. केन्द्रीय	
		2. राज्य	
5.	आयकर स्थायी लेखा संख्या प्रपत्र एवं विगत् दो वर्षों का आयकर विवरण की सत्यापित प्रति (संलग्न करें)		
6.	अर्नेस्ट मनी (अमानत राशि) का विवरण	1. ड्राफ्ट कमांक	
		2. दिनांक	
		3. बैंक का नाम	
		4. राशि रूपये	
7.	निविदा फार्म के मूल्य का विवरण	मनी रसीद नं./डी.डी कमांक.....दिनांक.....	
		राशि 1500/– रूपये (वाणिज्य कर सहित) बैंक का नाम.....	
8.	अन्य विवरण यदि कोई हो		

हस्ताक्षर निविदाकार

नाम.....

फर्म.....

परिशिष्ट '3'

भाग – ''ख''
(वित्तीय लिफाफा हेतु)

फार्म नंबर..... दिनांक.....

खरीफ विपणन वर्ष 2013–14 में डनेज हेतु धान भूसा (सुखा हुआ)

प्रेषक,

..... (निविदाकर्ता का नाम)
..... (पूर्ण पता)
.....
.....

प्रति,

प्रबंध संचालक,
छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित,
रायपुर

प्रिय महोदय,

1. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, द्वारा वांछित संग्रहण केन्द्र के लिए धान भूसा प्रदाय हेतु प्रकाशित निविदा सूचना को पढ़कर हमने/मैंने जिला कार्यालय में निर्धारित राशि जमा कर निर्धारित फार्म क्रय किया है, हमने/मैंने निविदा के आमंत्रण में दिये गये निर्देशों/निविदा/संविदा शर्तों, नियमों तथा दिये गये विवरण को भली भांति पढ़ लिया है, उनको समझ लिया है तथा हम/मैं उनके पालन के लिए सहमत हैं/हूँ।
2. इस बात की पुष्टि की जाती है कि हमें/मुझे उक्त दरों के अतिरिक्त कोई अन्य प्रभार देय नहीं होगा। उपरोक्त दरों में सभी प्रकार के कर एवं अन्य वैधानिक उत्तरदायित्व सम्मिलित है।

जिले का नाम :– .....

(जिस जिले के संग्रहण केन्द्र हेतु निविदा भरी जा रही है)

क.	संग्रहण केन्द्र का नाम	दर प्रति मेट्रिक टन संग्रहण केन्द्रों तक पहुंचाकर	
		अंको में	शब्दों में
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

निविदाकार के हस्ताक्षर व सील

परिशिष्ट '4'

—: संविदा हेतु निर्धारित प्रारूप :—

(50/—रूपये के नॉन जूडिशियल पेपर पर यह अनुबंध होगा)

आज दिनांक..... दिन ..... को यह अनुबंध पत्र छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, जिला विपणन अधिकारी..... जिला .....(छ0ग0) जिसे आगे चलकर ''विपणन संघ'' कहा जावेगा। ''पक्ष क्रमांक—1 तथा मेसर्स..... पक्ष क्रमांक—2'' के मध्य किया जा रहा है।

1. यह कि पक्ष क्रमांक—01 द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2013—14 में धान भंडारण हेतु डनेज के लिए सूखा धान भूसा की दर प्रति टन गन्तव्य तक पहुॅचाकर रूपये..... शब्दों में .....स्वीकृत किया गया है।
2. यह कि पक्ष क्रमांक—02 द्वारा अनुबंधित अवधि दिनांक 01/11/2013 से 31/10/2014 तक स्वीकृत दर पर भूसा आपूर्ति करने हेतु वचनबद्ध है।
3. यह कि संविदा की अवधि आपसी सहमति पर बढ़ाई जा सकेगी।
4. यह कि पक्ष क्रमांक—02 द्वारा भूसा आपूर्ति के 15 दिवस के भीतर पक्ष क्रमांक—01 द्वारा स्वीकृत दर पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
5. यह कि पक्ष क्रमांक—02 को पक्ष क्रमांक—01 की ओर से जिला विपणन अधिकारी द्वारा संग्रहण केन्द्र में भूसा आपूर्ति हेतु आदेशित मात्रा को 24 घंटे के भीतर संबंधित संग्रहण केन्द्र में आपूर्ति करना अनिवार्य होगा। समय पर आपूर्ति नहीं करने की स्थिति में होने वाली क्षति की वसूली पक्ष क्रमांक—02 से की जावेगी, उक्त आपूर्ति अन्य से कराया जाकर जो हानि की राशि होगी वह पक्ष क्रमांक—02 से वसूल की जावेगी तथा जमा अमानत राशि राजसात की जावेगी। उसे भविष्य के लिए दो वर्षों के लिए काली सूची में डाला जा सकेगा।
6. यह कि पक्ष क्रमांक—02 द्वारा भूसा आपूर्ति में लगने वाले समस्त टैक्स स्वयं वहन करना पड़ेगा।
7. यह कि पक्ष क्रमांक—02 को सूखा धान भूसा आपूर्ति करना होगा। धान भूसा गीला एवं पुराना होने पर पक्ष क्रमांक—01 द्वारा अस्वीकार किया जावेगा।
8. यह कि पक्ष क्रमांक—02 द्वारा धान भूसा के ट्रक/मेटाडोर को धर्मकांटा में तौल अनुसार प्राप्त वजन के आधार पर देयक प्रस्तुत किया जावेगा।
9. यह कि पक्ष क्रमांक—01 द्वारा नियमानुसार पक्ष क्रमांक—02 के बिल से आयकर की कटौती की जावेगी।
10. यह कि पक्ष क्रमांक—02 को निविदा के साथ 50,000/— रूपये अमानत राशि किसी अनुसूचित बैंक का ड्राफ्ट जो छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ जिला कार्यालय ..... को देय है, निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक संग्रहण केन्द्र हेतु पृथक—पृथक अमानत राशि जमा करना अनिवार्य होगा, जिसमें किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
11. यह कि निविदा एवं अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी भी समय बिना कारण बताये निविदा अग्रेतर समय के लिए निरस्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर के पास सुरक्षित होगा, जिस पर कोई वाद किसी भी न्यायालय में दायर नहीं किया जा सकेगा।
12. यह कि पक्ष क्रमांक—01 द्वारा संग्रहण केन्द्रों की सूची एवं संग्रहण केन्द्रवार आवश्यकता की जानकारी पक्ष क्रमांक—02 को समय—समय पर उपलब्ध कराया जावेगा।
13. यह कि पक्ष क्रमांक—01 द्वारा संग्रहण केन्द्रों में आवश्यकता होने पर ही आपूर्ति आदेश जारी किये जावेगें। किन्हीं परिस्थितिवश किसी संग्रहण केन्द्र में भंडारण नहीं होने की स्थिति में

भूसा आपूर्ति आदेश देना अनिवार्य नहीं है, इसके लिए किसी प्रकार की बाध्यता/हर्जाना मुआवजा देय नहीं है।

14. यह कि पक्ष क्रमांक–02 को निविदा की सभी शर्तें मान्य होंगी। यदि पक्ष क्रमांक–02 किसी शर्त का उल्लंघन करता है अथवा धान भूसा समय पर प्रदाय नहीं करता है तो उसकी जमा अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी तथा होने वाली क्षति की वसूली जमा सुरक्षानिधि से की जावेगी।

15. यह कि पक्ष क्रमांक–02 द्वारा धान भूसा की आपूर्ति विपणन संघ के संग्रहण केन्द्र के अलावा भारतीय खाद्य निगम के संग्रहण केन्द्रों में भी उक्त स्वीकृत दरों पर करनी होगी।

16. यह कि पक्ष क्रमांक–02 द्वारा सुरक्षानिधि के रूप में 50,000/– रूपये (पच्चास हजार रूपये मात्र) जमा कराना होगा। जमा सुरक्षानिधि अनुबंधित अवधि पश्चात् पक्ष क्रमांक–02 को कार्य के संतुष्टि के पश्चात् वापस देय होगा, जिस पर कोई ब्याज देय नही होगा।

17. सभी विवादों और निविदा से वांछित किसी भी शर्तों के संबंध में मतभेद उत्पन्न होने पर प्रकरण प्रबंध संचालक, छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर को प्रस्तुत किया जावेगा। प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा तथा दोनों पक्षकारों को मान्य होगा।

18. वित्त एवं योजना विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक/243/वि/नि/चार/2013 नया रायपुर, दिनांक 06.07.2013 द्वारा आदेशानुसार छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., मुख्यालय, रायपुर एवं निविदाकार के मध्य ''सत्यनिष्ठा संधि'' (Integrity Pact) जो कि इस निविदा दस्तावेज का अभिन्न अंग है, को निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। ''सत्यनिष्ठा संधि'' (Integrity Pact) संलग्न नहीं की स्थिति में निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी। ''सत्यनिष्ठा संधि'' (Integrity Pact) का प्रारूप इस निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न है। (परिशिष्ट 6)। उक्त दस्तावेज निविदाकार अपने लेटरहैड में प्रत्येक पृष्ठ पर सील सहित हस्ताक्षर कर निविदा के साथ संलग्न करें। निविदाकार यदि कंपनी/फर्म है, तो उक्त दस्तावेज अधिकृत प्रतिनिधि/संचालक/भागीदार द्वारा हस्ताक्षर एवं सील सहित संलग्न करें। यह सत्यनिष्ठा संधि (Integrity Pact) छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., मुख्यालय, रायपुर द्वारा हस्ताक्षरित माना जायेगा।

19. इस अनुबंध को निष्पादित करते समय सुरक्षानिधि के रूप में 50,000/– (पच्चास हजार रूपये मात्र) की राशि का विवरण.....
.....

हस्ताक्षर..... **हस्ताक्षर** .....

पदनाम ..... **पदनाम** .....

(पक्ष क्रमांक–01) **(पक्ष क्रमांक–02)**

सील ..... **सील** .....

साक्षी : **साक्षी :**

....

हस्ताक्षर..... **हस्ताक्षर**.....

नाम व पता ..... **नाम व पता** .....

....

....

परिशिष्ट '5'

खरीफ विपणन वर्ष 2013–14 में जिलेवार विपणन संघ के कार्यशील धान संग्रहण केन्द्रों की सूची

क्र.	जिले का नाम	धान संग्रहण केन्द्र का नाम
1	रायपुर	अभनपुर, खरोरा, जौंदा(राजिम), तिल्दा, धरसींवा, लखौली, कुरूद भाटा लखौली
2	गरियाबंद	कुण्डेलभाठा
3	बलौदा बाजार – भाटापारा	कसडोल, बलौदा–बाजार, भटगांव, भाटापारा
4	धमतरी	चिटौद, नगरी सिहावा, भखारा, भाठागांव (कुरूद) भोयना
5	महासमुंद	पिथौरा, बसना, बागबाहरा, महासमुंद, सरायपाली
6	दुर्ग	करंजा (भिलाई), कौडिया, जेवरा–सिरसा, सेलूद फड़
7	बालोद	जगतरा फड, फुण्डाभाठा, मालीघोरी
8	बेमेतरा	बीजाभाठा,लेंजवारा (सरदा)
9	राजनांदगांव	ठेलकाडीह, तिलई, नागरकोहरा (तुमडीबोड) बांधाबाजार मदुराकुही, सिंघोला, कलकसा, द्योटिया
10	कवर्धा	बाजार चारभाठा
11	बिलासपुर	पेन्ड्रारोड, बिल्हा, भरनीभाठा, मस्तुरी, मोपका, सेमरताल
12	मुंगेली	मुंगेली, लोरमी
13	जांजगीर–चांपा	कृषि उपज मंडी चाम्पा, बोडासागर, बोड़ासागर 2 (शेरो) ,मंडी प्रांगण सक्ती, मनोहरभाठा जांजगीर एवं मिल प्रागण जांजगीर, शा. भूमि अकलतरा, शा.भूमि डभरा, सक्ती 2 (जेठा)
14	कोरबा	कटघोरा, डोंगरीभाठा
15	रायगढ़	कोड़ातराई हवाई पट्टी, खरसिया, बरमकेला, मेडिकल का.ग्रा.लोहरसिंग, हरदी
16	सरगुजा	अंबिकापुर, सीतापुर
17	सुरजपूर	सूरजपुर
18	जशपुर	पत्थलगांव
19	बस्तर	जगदलपुर
20	कोण्डागांव	कोड़ागांव
21	कांकेर	कांकेर, भानुप्रतापपुर, लखनपुरी
22	दन्तेवाड़ा	गीदम

PRE-CONTRACT INTEGRITY PACT

1. GENERAL

1.1. This pre-bid contract Agreement (herein after called the Integrity Pact) is made on day of the month 20 , between, the **Chhattisgarh State Co-operative Marketing Federation Ltd.** acting through Shri _____(Designation of the officer, Department) (hereinafter called the "**BUYER/PRINCIPAL**", which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors in the office and assigns) and the First Party, proposes to procure (Name of the Stores/Equipment/Work/Service/Materials) and M/s._____ represented by Shri _____ Chief Executive Officer/Authorised Signatory (hereinafter called the **"BIDDER/SELLER/CONTRACTOR"**, which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors and permitted assigns) and the Second Party, is willing to offer/ has offered.

1.2. WHEREAS the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR is a Private Company/Public Company/ Government Undertaking/ Partnership/Registered Export Agency, constituted in accordance with the relevant law in the matter and the BUYER/PRINCIPAL is a Registered Co-operative Society under the provisions of Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 performing its function on behalf of the Government of Chhattisgarh.

2. OBJECTIVES

NOW, THEREFORE, the BUYER/PRINCIPAL and the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR agree to enter into this pre-contract agreement, hereinafter referred to as Integrity Pact, to avoid all forms of corruption by following a system that is fair, transparent and free from any influence/prejudiced dealings prior to, during and subsequent to the Contract to be entered into with a view to:-

2.1. Enabling the BUYER/PRINCIPAL to obtain the desired Stores/Equipment/Work/Service/Materials at a competitive price in conformity with the defined specifications by avoiding the high cost and the distortionary impact of corruption on public procurement, and.

2.2. Enabling BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to abstain from bribing or indulging in any corrupt practices in order to secure the contract by providing assurance to them that their competitors will also abstain from bribing any corrupt practices and the BUYER/PRINCIPAL will commit to prevent corruption, in any form, by its official by following transparent procedures.

3. COMMITMENTS OF THE BUYER/PRINCIPAL

The BUYER/PRINCIPAL commits itself to the following:-

3.1. The BUYER/PRINCIPAL undertakes that no official of the BUYER/PRINCIPAL, connected directly or indirectly with the contract, will demand, take promise for or accept, directly or through intermediaries, any bribe, consideration, gift, reward, favour or any material or immaterial benefit or any other advantage from the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either for themselves or for any person, organization or third party related to the contract in exchange for an advantage in the bidding process, bid evaluation, contracting or implementation process related to the contract.

3.2. The BUYER/PRINCIPAL will, during the pre-contract stage, treat all BIDDER/SELLER/CONTRACTORs alike, and will provide to all BIDDER/SELLER/CONTRACTORs the same information and will not provide any such information to any particular BIDDER/SELLER/CONTRACTOR which could afford an advantage to that particular BIDDER/SELLER/CONTRACTOR in comparison to the other BIDDER/SELLER/CONTRACTORs.

3.3. All the officials of the BUYER/PRINCIPAL will report the appropriate Government office any attempted or completed breaches of the above commitments as well as any substantial suspicion of such a breach.

In case any such preceding misconduct on the part of such official(s) is reported by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to the BUYER/PRINCIPAL with the full and verifiable facts and the same is *prima facie* found to be correct by the BUYER/PRINCIPAL, necessary disciplinary proceedings, or any other action as deemed fit, including criminal proceedings may be initiated by the BUYER/PRINCIPAL and such a person shall he debarred from further dealings related to the contract process. In such a case, while an enquiry is being conducted by the BUYER/PRINCIPAL, the proceedings under the contract would not be stalled.

4. COMMITMENTS OF BIDDER/SELLER/CONTRACTORS

The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR commits itself to take all measures necessary to prevent corrupt practices, unfair means and illegal activities during any stage of its bid or during any pre-contract or post-contract stage in order to secure the contract or in furtherance to secure it and in particular commit itself to the following:-

4.1. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not offer, directly or through intermediaries, any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage or inducement to any official of the BUYER/PRINCIPAL, connected directly or indirectly with the biding process, or to any person, organization or third party related to the contract in exchange for any advantage in the bidding, evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.2. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR further undertakes that it has not given, offered or promised to give, directly or indirectly any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage, or inducement to any official of the BUYER/PRINCIPAL or otherwise in procuring the Contract of forbearing to do or having done any act in relation to the obtaining or execution of the contract or any other contract with the Government for showing or forbearing to show favour or disfavour to any person in relation to the contract or any other contract with the Government.

4.3. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR further confirms and declares to the BUYER/PRINCIPAL that the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR is the original Manufacture/Integrator/Authorized government sponsored export entity of the stores and has not engaged any individual or firm or company whether Indian or foreign to intercede, facilitate or in any way to recommend to the BUYER/PRINCIPAL or any of its functionaries, whether officially or unofficially to the award of the contract to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, nor has any amount been paid, promised or intended to be paid to any such individual, firm or company in respect of any such intercession, facilitation or recommendation.

4.4. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either while presenting the bid or during pre-contract negotiations or before signing the contract, shall disclose any payment he has made, is committed to or intends to make to officials of the BUYER/PRINCIPAL or their family members, agents, brokers or any other intermediaries in connection with the contract and the details of services agreed upon for such payments.

4.5. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not collude with other parties interested in the contract to impair the transparency, fairness and progress of the bidding process, bid evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.6. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not accept any advantage in exchange for any corrupt practice, unfair means and illegal activities.

4.7. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not use improperly, for purpose of competition or personal gain, or pass on to others, any information provided by the BUYER/PRINCIPAL as part of the business relationship, regarding plans, technical proposal and business details, including information contained in any electronic data carrier. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR also undertakes to exercise due and adequate care lest any such information is divulged.

4.8. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR commits to refrain from giving any complaint directly or through any other manner without supporting it with full and verifiable facts.

4.9. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not instigate or cause to instigate any third person to commit any of the acts mentioned above.

5. PREVIOUS TRANSGRESSION

5.1 The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR declares that no previous transgression occurred in the last three years immediately before signing of this Integrity Pact with any other company in any country in respect of any corrupt practices envisaged hereunder or with any Public Sector Enterprise in India or any Government Department in India that could justify B1DDER's exclusion from the tender process.

5.2. If the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR makes incorrect statement on this subject, BIDDER/SELLER/CONTRACTOR can be disqualified from the tender process or the contract, if already awarded, can be terminated for such reason.

6. EARNEST MONEY (SECURITY DEPOSIT)

6.1. Every BIDDER/SELLER/CONTRACTOR while submitting commercial bid, shall deposit an amount as specified in RFP/Tender Documents as Earnest Money/Security, Deposit, with the BUYER/PRINCIPAL through any of the following instruments:

(i) Bank Draft or a Pay Order in favour of..

(ii) A confirmed guarantee by an Indian Nationalised Bank, promising payment of the guaranteed sum to the (BUYER/PRINCIPAL) on demand within
three working days without any demur whatsoever and without seeking any reasons whatsoever. The demand for payment by the BUYER/PRINCIPAL shall be treated as conclusive proof of payment.

(iii) Any other mode or through any other instrument (to be specified in the RFP/Tender Documents).

6.2. The Earnest Money/Security Deposit shall be valid upto a period of five years or the complete conclusion of the contractual obligations to the complete satisfaction of both the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR and BUYER/PRINCIPAL, including warranty period, whichever is later.

6.3. In the case of successful BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, a clause would also be incorporated in the Article pertaining to Performance Bond in the Purchase Contract that the provisions of Sanctions for violation shall be applicable for forfeiture of Performance Bond in case of a decision by the BUYER/PRINCIPAL to forfeit the same without assigning any reason for imposing sanction for violation of this Pact.

6.4. No interest shall be payable by the BUYER/PRINCIPAL to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR on Earnest Money/Security Deposit for the period of its currency.

7. SANCTIONS FOR VIOLATIONS

7.1. Any breach of the aforesaid provisions by the BIDDER/SELLER /CONTRACTOR or any one employed by it or acting on its behalf (whether with or without the knowledge of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR) shall entitle the BUYER/PRINCIPAL to take all or *any* one of the following actions, wherever required:-

(i) To immediately call off the pre contract negotiations without assigning any reason or giving any compensation to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR. However, the proceedings with the other BIDDER/SELLER/CONTRACTOR(s) would continue.

(ii) To forfeit fully or partially the Earnest Money Deposit (in pre-contract stage) and/or Security Deposit/Performance Bond (after the contract is signed), as decided by the BUYER/PRINCIPAL and the BUYER/PRINCIPAL shall not be required to assign any reason therefore.

(iii) To immediately cancel the contract, if already signed, without giving any compensation to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR.

(iv) To recover all sums already paid by the BUYER/PRINCIPAL, and in case of the Indian BIDDER/SELLER/CONTRACTOR with interest thereon at 2% higher than the prevailing Prime Lending Rate of_____ (Name of the Bank/Financial Institution) while in case of a BIDDER/SELLER/CONTRACTOR from a country other than India with Interest thereon at 2% higher than the LIBOR. If any outstanding payment is due to the BIDDER/SELLER /CONTRACTOR from the BUYER/PRINCIPAL in connection with any other contract such outstanding payment could also be utilized to recover the aforesaid sum and interest

(v) To encash the advance bank guarantee and performance bond/warranty bond, if furnished *by* the BIDDER/SELLER /CONTRACTOR, in order to recover the payments, already made by the BUYER/PRINCIPAL, along with interest.

(vi) To cancel all or any other contracts with the BIDDER /SELLER /CONTRACTOR and the BIDDER/SELLER /CONT RACTOR shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER/PRINCIPAL resulting from such cancellation/rescission and the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER/SELLER /CONTRACTOR.

(vii) To debar the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR from participating in future bidding processes of the BUYER/PRINCIPAL for a minimum period of five years, which may be further extended at the discretion of the BUYER/PRINCIPAL.

(viii) To recover all sums paid in violation of this Pact by BIDDER/SELLER/CONTRACTOR(s) to *any* middlemen or agent or broken with a view to securing the contract.

(ix) In cases where irrevocable Letters of Credit have been received in respect of any contract signed by the BUYER/PRINCIPAL with the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, the same shall not be opened.

(x) If the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR or any employee of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR or any person acting on behalf of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either directly or indirectly, is closely related to any of the officers of the BUYER/PRINCIPAL, or alternatively, if any close relative of an officer of the BUYER/PRINCIPAL has financial interest/stake in the BIDDER /SELLER/CONTRACTOR's firm, the same shall be disclosed by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR at the time of tilling of tender. Any failure to disclose the interest involved shall entitle the BUYER/PRINCIPAL to rescind the contract without payment of *any* compensation to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR.

The term 'close relative' for this purpose would mean spouse whether residing with the Government servant or not, but not include a spouse separated from the Government servant by a decree or order of a competent court; son or daughter or step son or step daughter and wholly dependent upon Government servant, but does not include a child or step child who is no longer in any way dependent upon the Government servant or of whose custody the Government servant has been deprived of by or under any law; any other person related, whether by blood or marriage, to the Government servant or to the Government servant's wife or husband and wholly dependent upon Government servant

(xi) The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not lend to or borrow any money from or enter into any monetary dealings or transactions, directly or indirectly, with any employee of the BUYER/PRINCIPAL, and if he does so, the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled forthwith to rescind the contract and all other contracts with the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR. The BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER/PRINCIPAL resulting from such rescission and the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER/SELLER /CONTRACTOR.

7.2. The decision of the BUYER/PRINCIPAL to the effect that a breach of the provisions of this pact has been committed by the BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR shall be final and conclusive on the BIDDER/SELLER /CONTRACTOR. However, the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR can approach the Monitor(s) appointed for the purposes of this Pact.

8. FALL CLAUSE

8.1. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR undertakes that if has not supplied/is not supplying similar product/systems or subsystems at a price lower than that offered in the present bid in respect of any other Department of the Government of Chhattisgarh or PSU and if it is found at any stage that similar product/systems or sub systems was supplied by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to any other Department of the Government of Chhattisgarh or a PSU at a lower price, then that very price, with due allowance for elapsed time, will be applicable to the present case and the difference in the cost would he refunded by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to the BUYER/PRINCIPAL, if the contract has already been concluded.

9. INDEPENDENT' MONITORS

9.1. The BUYER/PRINCIPAL will appoint Independent Monitors (hereinafter referred to as Monitors) for this Pact.

9.2. The task of the Monitors shall be to review independently and objectively, whether and to what extent the parties comply with the obligations under this Pact.

9.3. The Monitors shall not be subject to instructions by the representatives of the parties and perform their functions neutrally and independently.

9.4. Both the parties accept that the Monitors have the right to access all the documents relating to the project/procurement, including minutes of meetings. The Monitor shall be under contractual obligation to treat the information and documents of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR Subcontractor(s) with confidentiality.

9.5. As soon as the Monitor notices, or has reason to believe, a violation of this Pact, he will so inform the Authority designated by *the* BUYER/PRINCIPAL.

9,6. The Monitor will submit a written report to the designated Authority of BUYER/PRINCIPAL/Secretary of the BUYER/PRINCIPAL within 8 to 10 weeks from the date of reference or intimation to him by the BUYER/PRINCIPAL/BIDDER/SELLER/CONTRACTOR and, should the occasion arise, submit proposals for correcting problematic situations.

10. FACILITATION OF INVESTIGATION

in case of any allegation of violation of any provisions of this Pact or payment of commission, the BUYER/PRINCIPAL or its agencies shall be entitled to examine all the documents including the Books of Accounts of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR and the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall provide necessary information of the relevant documents and shall extend all possible help for the purpose of such examination,

11. LAW AND PLACE OF JURISDICTION

This Pact is subject to Indian Law, the place of performance and jurisdiction shall be the seat of the BUYER/PRINCIPAL i.e at **RAIPUR Chhattisgarh**.

12. OTHER LEGAL ACTIONS

The actions stipulated in this Integrity Pact are without prejudice to any other legal action that may follow in accordance with the provisions of the any other law in force relating to any civil or criminal proceedings.

13. VALIDITY

13.1. The validity of this Integrity Pact shall be from the date of its signing and extend up to 5 years or the complete execution of the contract to the satisfaction of both the BUYER/PRINCIPAL and the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR whichever is later, In case BIDDER/SELLER/CONTRACTOR is unsuccessful, this Integrity Pact shall expire after six months from the date of the signing of the contract.

13.2. If one or several provisions of this Pact turn out to be invalid; *the* remainder of this Pact shall remain valid. In such case, the parties will strive to come to an agreement to their original intentions.

14. The parties hereby sign this Integrity Pact at ..... on.....

BUYER/PRINCIPAL BIDDER/SELLER/CONTRACTOR
Name of the Officer
CHIEF EXECUTIVE OFFICER/AUTHORISED SIGNATORY
Destination
Chhattisgarh State Co-operative Marketing Fed.Ltd.

Witness	**Witness**
1) _____	**1)** _____
2) _____	**2)** _____